

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

भादूविप्रा ने हेडर और कंटेंट टेम्पलेट के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उपायों के संबंध में एक्सेस प्रदाताओं को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक प्राथमिकता विनियम, 2018 (2018 का 6) के तहत निर्देश जारी किए

**नई दिल्ली, 20 अगस्त 2024** - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के उपायों के लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आज जारी एक निर्देश के माध्यम से भादूविप्रा ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया:

- (क) भादूविप्रा ने एक्सेस प्रदाताओं को बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए 140 सीरीज से शुरू होने वाले टेलीमार्केटिंग कॉल को 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन डीएलटी प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करने का निर्देश दिया है।
- (ख) दिनांक 01 सितंबर 2024 से सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को ऐसे संदेशों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जिनमें यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक या कॉल बैक नंबर शामिल हों जो प्रेषक द्वारा व्हाइटलिस्टेड नहीं हैं।
- (ग) संदेश ट्रेसबिलिटी को बढ़ाने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 01 नवंबर, 2024 से अनिवार्य कर दिया है कि प्रेषक से प्राप्तकर्ताओं तक सभी संदेशों की ट्रेल का पता लगाया जा सके। अपरिभाषित या बेमेल टेलीमार्केटर श्रृंखला वाले किसी भी संदेश को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (घ) प्रचार सामग्री के लिए टेम्पलेट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए, भादूविप्रा ने गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक उपाय शुरू किए हैं। अनुचित श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत सामग्री टेम्पलेट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और बार-बार उल्लंघन करने पर प्रेषक की सेवाओं को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
- (ङ) विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, डीएलटी पर पंजीकृत सभी हेडर और कंटेंट टेम्पलेट को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, एक ही कंटेंट टेम्पलेट को कई हेडर से लिंक नहीं किया जा सकता है।
- (च) यदि किसी प्रेषक के हेडर या कंटेंट टेम्पलेट्स का दुरुपयोग पाया जाता है, तो ट्राई ने उस प्रेषक के सभी हेडर और कंटेंट टेम्पलेट्स से ट्रैफिक को तुरंत निलंबित करने और उनकी जाँच करने का निर्देश दिया है। प्रेषक से ट्रैफिक की वापसी केवल तभी की जाएगी जब प्रेषक द्वारा ऐसे दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, डिलीवरी-टेलीमार्केटिंग करने वालों को दो व्यावसायिक दिनों के भीतर ऐसे दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की पहचान करनी होगी और रिपोर्ट करनी होगी, अन्यथा उन्हें समान परिणाम भुगतने होंगे।

हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देश के सटीक पाठ के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in)

पर उपलब्ध निर्देश देखें।

ये उपाय एक स्वच्छ और सुरक्षित मैसेजिंग इकोसिस्टम, ग्राहक के हितों की सुरक्षा और धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भादूविप्रा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

ह/-

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा